"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 जनवरी 2012—पौष 19, शक 1933

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2011/वाक.(पं.)/पांच (01).—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1808 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 818-635-पांच-पृ.आ., दिनांक 24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (50) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (51) जोड़ा जाता है :—

(51) राज्य सरकार, नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) के अन्तर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मूल भूमिस्वामी के मध्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रावधानित अनुबन्ध को प्रभावी किये जाने हेतु निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 10-18/2011/वाक.(पं.)/पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-18/2011/वाक.(पं.)/पांच (01), दिनांक 09-01-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज़ेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 9th January 2012

NOTIFICATION

No. F 10-18/2011/CT (R)/V(01).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification No. 818-635-V-S.R., dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Regisration Fees" under the sub-heading "exemption and reduction" item No. (51) shall be added after item No. (50), namely :—

(51) State Government hereby remits the registration fees chargeable on instruments executed between original owner of the land and the Raipur Development Authority under the Town Development Scheme No. 4 (Kamal Vihar), for giving effect to the agreement provided in section 56 of the Chhattisgarh Nagar Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2011/वाक.(पं.)/पांच (02).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार) के अन्तर्गत रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मूल भूमिस्वामी के मध्य छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-56 के अन्तर्गत प्रावधानित अनुबन्ध को प्रभावी किये जाने हेतु निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. उक्त अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 10-18/2011/वाक.(पं.)/पांच (02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-18/2011/वाक.(पं.)/पांच (02), दिनांक 09-01-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 9th January 2012

NOTIFICATION

No. F 10-18/2011/CT (R)/V(02).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby remits stamp duty, chargeable on instruments executed between original owner of the land and the Raipur Development Authority under the Town Development Scheme No.-4 (Kamal Vihar) for giving effect to the agreement provided in section 56 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.